प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.12.2024

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से एक चोरी की कार व घटना में प्रयुक्त 01 मोबाईल फोन बरामद ।

दिनांक 24-12-24 को चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा हनुमान चौक नन्दग्राम के पास से मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया , जिनके कब्जे से चोरी की होण्डा सिटी कार रजि नं0 DL4CAZ5254 व घटना में प्रयुक्त 01 मोबाईल फोन कम्पनी सैमसंग बरामद हुआ । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्तगण का नाम व पता--

1.आकाश त्यागी पुत्र राजकरन त्यागी निवासी ग्राम बडकली थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 30 वर्ष ।

2.गौरव शर्मा उर्फ झण्डु पुत्र श्री बालेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम बडकली थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 35 वर्ष

फरार अभियुक्तगण-

पवित्रा पत्नी नितिन त्यागी निवासी छतरपुर दिल्ली ।

पंकज त्यागी पुत्र श्री बेदप्रकाश त्यागी निवासी ग्राम बडकली थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर ।

सिध्दार्थ पुत्र श्री कुलदीप निवासी ग्राम रामूपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभि0 आकाश उपरोक्त के विरुद्ध जनपद सहारनपुर में थाना देवबंद में लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है, जनपद मु0नगर में चोरी , आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, डकैती,लूट, हत्या का प्रयास, कुल 08 अभियोग भिन्न भिन्न थानो में पंजीकृत है, कमि0 गाजियाबाद थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग चोरी का पंजीकृत है कुल 10 अभियोग पंजीकृत है।

अभि0 गौरव उपरोक्त के विरुद्ध जनपद सहारनपुर में लूट का 01 अभियोग जनपद मु0नगर में आर्म्स एक्ट, लूट, गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियोग भिन्न भिन्न थानो में पंजीकृत है, कमि0 गाजियाबाद थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग चोरी का पंजीकृत है कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त गौरव से पूछताछ पर बताया कि मेरी इस गाडी की मालकिन पवित्रा पत्नी नितिन त्यागी निवासी छतरपुर दिल्ली की कजिन सिस्टर की शादी मेरे गावं बडकली में हुई है, इस नाते ही पवित्रा से मेरी जान पहचान हो गयी और पवित्रा से मेरी दोस्ती हो गयी, पवित्रा से व्हाट्सएप पर मेरी बातचीत होती रहती थी । पवित्रा ने मुझसे कहा था कि दिनांक 06.12.2024 को मोरटी मे अपनी बहन की शादी मे आंउगी, मै तुम्हे अपने पति की होण्डा सिटी कार की चाबी दे दूँगी और तुम गाडी चोरी करके ले जाना जो रुपये गाडी को बेचकर मिलेगे हम आपस मे बाट लेगे, चोरी करने के बाद तुम मुझे गाडी की चाबी वापस कर देना । मेरे पति को तो इंश्योरेस कम्पनी से पैसे मिल जायेगे । अपने इसी षडन्त्र के तहत मै और मेरा साथी आकाश त्यागी , पंकज त्यागी पुत्र श्री बेदप्रकाश त्यागी निवासी ग्राम बडकली थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर व सिध्दार्थ पुत्र श्री कुलदीप निवासी ग्राम रामूपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर, हम चारो दोस्त दिनांक 06.12.2024 को गाजियाबाद के मोरटी गांव मे आये थे, जहां पर पवित्रा द्वारा हमें जे0एस0 फार्म हाउस पर मिलने के लिए बताया था । जब हम फार्म हाउस के बाहर आये तो पवित्रा ने हमें गाडी की चाबी दी, और बताया कि गाडी की मेरे पास दो चाबी है, एक तुम्हे दे रही हूँ, एक – दो दिन बाद वापस कर देना जिससे में गाडी की चाबी उसी जगह पर छिपा दूं, जिससे किसी को शक ना हो । हम चारो लोग गाडी को उसी चाबी से चोरी कर जिला मुजफ्फरनगर ले गये थे रास्ते में हमने गाडी की रजि नं0 प्लेट भी उतार दी थी जिससे गाडी को रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरो से बचाया जा सकें । चोरी से अगले दिन गाडी को लेकर हम लोग जनपद सहारनपुर गये थे, जहां पर हमने गाडी की दूसरी चाबी बनवाई। और मेरे द्वारा गाडी की ओरिजनल चाबी पवित्रा को वापस कर दी थी। पवित्रा ने चाबी

उसी जगह पर वापस रख दी थी, जिससे पवित्रा के पति नितिन त्यागी को पता ना चले की गाडी हम सभी ने षडयन्त्र के तहत उसकी गाडी चोरी की है।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1. एक होण्डा सिटी कार रजि नं0 DL4CAZ5254
2. एक मोबाईल सैमसंग आईएमईआई न0 353632091629207 व 353633091629205

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैंकों में खाता खोलकर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोगों को क्रेडिट रिवार्ड पॉइंट का लालच देकर लिंक के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 लेपटॉप मय चार्जर, 05 आधार कार्ड, 22 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 24 बैंक चैक बुक, 04 स्विप मशीन मय 03 चार्जर, 05 स्केनर, 03 मोबाइल फोन, 02 मोहर, 10 आर एच एन्टरप्राइजेज बिल स्लिप व ऑनलाइन फ्रॉड से सम्बन्धित 7170/- रुपये बरामद।

<u>कार्यवाही का विवरण:</u> दिनांक 10.10.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री विजय भारद्वज पुत्र स्व0 श्री रामकिशन द्वारा लिखित दी और बताया कि दिनांक 26.09.2024 को मेरे मोबाइल पर एक नम्बर से फोन आया और बताया कि मैं Induslnd Bank का कर्मचारी हूँ, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट रिडीम के लिए एक लिंक भेजा जिसके बाद मेरा मोबाइल फोन हैक हो गया और मेरे क्रेडिट कार्ड से 1,99,000/- रु0 का ट्रान्जेक्शन कर फ्रॉड करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.12.2024 को थाना साहिबाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैंकों में खाता खोलकर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोगों को क्रेडिट रिवार्ड पॉइंट का लालच देकर लिंक के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 04 अभियुक्तगण 1. अजीत उर्फ अरविन्द पुत्र जय सिंह निवासी ए-10/181 राजवीर कॉलोनी घरोली मयूर विहार फेस-3 दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष, 2. रोबिन पुत्र जलवीर सिंह निवासी एफ-35 गली नं0 01 गंगा विहार गोकुलपुर दिल्ली उम्र करीब 43 वर्ष, 3. आलोक पुत्र संतसरण निवासी ग्राम खेडा कुरसी थाना रसूलाबाद जिला कानपुर देहात उम्र करीब 29 वर्ष व 4. रिजवान पुत्र हसीब निवासी ग्राम भुबकापुर थाना पखरपुर बहराइच उम्र करीब 22 बर्ष को आईटीएस कॉलेज करेहड़ा कट मोहनगर के पास से 01 लेपटॉप मय चार्जर, 05 आधार कार्ड, 22 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 24 बैंक चैक बुक, 04 स्विप मशीन मय 03 चार्जर, 05 स्केनर, 03 मोबाइल फोन, 02 मोहर, 10 आर एच एन्टरप्राइजेज बिल स्लिप व ऑनलाइन फ्रॉड से सम्बन्धित 7170/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 66डी आईटी एक्ट में धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण:</u> गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने मिलकर एक फर्म विनीत कुमार के फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग कर आर0एच0 एन्टरप्राइजेज के नाम से बनाई थी। जिसका ऑफिस इन्होंने अभय खण्ड इन्दिरापुरम गाजियाबाद में बनाया हुआ है, जिसमें फर्जी आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज तैयार कर यह भिन्न-भिन्न बैंकों में खाते खुलवाकर यह लोग अन्य लोगों को कॉल करके उन्हें प्रलोभन देकर क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट रिडीम के लिंक के माध्यम से उनके साथ साइबर फ्रॉड कर ऑनलाइन पैसा निकाल लेते थे तथा बाद में उसी पैसे को एटीएम व चैक बुक के माध्यम से निकाल कर आपस में बराबर-बराबर बांट लेते थे। जब इनका खाता ब्लॉक हो जाता था तो फिर यह अन्य किसी बैंक में खाता खुलवा

लेते थे और लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। आज यह लोग अपने इन्दिरापुरम वाले ऑफिस से अपना जरुरी सामान लेकर जा रहे थे कि इन्हें पकड़ लिया।

विनीत के बारे मे पूछने पर बताया कि विनीत मयूर विहार दिल्ली में रहता है जिसके पते की हमें पूर्ण जानकारी नही है, प्राप्त हुए आधार कार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि आधार कार्ड नम्बर 744494484477 व आधार कार्ड नम्बर 339904939749 के नाम पता व आधार कार्ड संख्या व जन्मतिथी अलग-अलग है किन्तु आधार कार्ड पर फोटो एक सामान है, आधार कार्ड नम्बर 339904939749 व आधार कार्ड नम्बर 697911258057 पर नाम पता एक समान है किन्तु दोनों आधार कार्ड पर प्रयोग किये गये फोटो, आधार कार्ड नम्बर व जन्म तिथी अलग- अलग है तथा संधिग्धों से प्राप्त चैक बुक खाता संख्या 50200093974387 में अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित साइबर फ्रॉड का पैसा 1,99,000/- रुपये ट्रान्सफर किया गया है। उपरोक्त चारों व्यक्तियों द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर यह साइबर फ्रॉड किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः

1. अजीत उर्फ अरविन्द पुत्र जय सिंह निवासी ए-10/181 राजवीर कॉलोनी घरोली मयूर विहार फेस-3 दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष।
2. रोबिन पुत्र जलवीर सिंह निवासी एफ-35 गली नं0 01 गंगा विहार गोकुलपुर दिल्ली उम्र करीब 43 वर्ष।
3. आलोक पुत्र संतसरण निवासी ग्राम खेडा कुरसी थाना रसूलाबाद जिला कानपुर देहात उम्र करीब 29 वर्ष।
4. रिजवान पुत्र हसीब निवासी ग्राम भुबकापुर थाना पखरपुर बहराइच उम्र करीब 22 बर्ष।

बरामदगी का विवरणः

- 01 लेपटॉप मय चार्जर, 05 आधार कार्ड, 22 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 24 बैंक चैक बुक, 04 स्विप मशीन मय 03 चार्जर, 05 स्केनर, 03 मोबाइल फोन, 02 मोहर, 10 आर एच एन्टरप्राइजेज बिल स्लिप व ऑनलाइन फ्रॉड से सम्बन्धित 7170/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः

- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना इन्दिरापुरम पर अभियुक्त अजीत उपरोक्त के विरुद्ध लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग व अभियुक्त रोबिन उपरोक्त के विरुद्ध लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना साहिबाबाद साइबर पुलिस टीम।